भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन आवश्यक है, ताकि यह जाना जा सके कि भारतीय संविधान अपना वर्तमान स्वरूप पाने के लिए किन–किन चरणों से गुजरा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का निम्नलिखित भागों में विभाजन करके अध्ययन किया जा सकता है :–

(A) यूरोपीयों द्वारा भारत पहुँचने के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज तथा भारत से व्यापार।

(B) ईस्ट इंडिया कम्पनी का भारत में आगमन।

(C) भारत के प्रशासन को संभालने के लिए ब्रिटिश शासनकालीन विभिन्न अधिनियम।

(A) यूरोपीयों द्वारा भारत पहुँचने के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज तथा भारत से व्यापार :

- प्राचीनकाल से ही भारत के रोम के साथ व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध थे। रोम के द्वारा ही भारतीय माल सभी यूरोपियन मण्डियों में पहुँचाया जाता था। सातवीं–आठवीं शताब्दी में अरबों ने भारत से अधिक व्यापार करना शुरू कर दिया और धीरे–धीरे उनके हाथों में भारत का पश्चिमी देशों से होने वाला व्यापार आ गया। यह स्थिति चौदहवीं–पन्द्रहवीं शताब्दी तक जारी रही। उन दिनों भारत का यह व्यापार **तीन मार्गों** के माध्यम से होता था–

♦ **प्रथम मार्ग**–भारत से ऑक्सस, कैस्पियन सागर और काला सागर होते हुए यूरोप जाता था।

♦ **दूसरा मार्ग**–सीरिया होता हुआ भूमध्य सागर तक जाता था।

♦ **तीसरा मार्ग**–भारत से मिस्र और मिस्र की नील नदी से होता हुआ यूरोप जाता था।

- मध्यकाल में यूरोप के प्रसिद्ध नगर वेनिस तथा जिनेवा की समृद्धि का यही कारण था कि भारत का सारा माल पहले इन्हीं नगरों में जाता था और वहाँ से यूरोप की सारी मण्डियों तक पहुँचता था। इनकी समृद्धि से प्रभावित होकर पुर्तगालियों ने भी भारत से व्यापार करने का इरादा प्रकट किया।
- भारत पहुँचने के लिए यूरोपीय लोगों को नए समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ी, क्योंकि पन्द्रहवीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करके तुर्कों ने उपर्युक्त तीनों मार्गों को अवरूद्ध कर दिया था।
- पुर्तगाल के सम्राट **मैनुअल प्रथम** ने 8 जुलाई 1497 को वास्कोडिगामा को नया समुद्री मार्ग खोजने के लिए भेजा। वास्कोडिगामा आशा अन्तरीप (Cape of Good hope, अफ्रीका) का चक्कर लगाता हुआ **20 मई 1498 को भारत के कालीकट स्थान पर पहुँचा**।
- **1500 ई. में पुर्तगालियों ने पूरे जोर–शोर से भारत के साथ व्यापार शुरू** कर दिया। इनके बाद इंग्लैण्ड के व्यापारियों ने भी भारत से व्यापार करने का इरादा प्रकट किया।

(B) ईस्ट इण्डिया कम्पनी का भारत में आगमन :

- 22 दिसंबर 1599 को लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें भारत से व्यापार करने के लिए अंग्रेज व्यापारियों की एक संस्था बनाने का निश्चय किया गया।
- 1600 ई. के पूर्वार्द्ध में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने **''अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी''** अर्थात् **''द गर्वनर एण्ड कम्पनी ऑफ मर्चेन्टस ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इण्डीज''** की स्थापना की और 31 दिसम्बर,1600 को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कम्पनी को 15 वर्षो के लिए भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार पत्र प्रदान किया जिसे **1600 ई. का चार्टर** कहा गया।
- ईस्ट इण्डिया कम्पनी की ओर से व्यापारिक स्वीकृति के लिए भारत में आने वाला **प्रथम अंग्रेजी राजदूत 'विलियम हॉकिन्स'** (1608 ई.) था। मुगल बादशाह **'जहाँगीर'** ने विलियम हॉकिन्स को 400 बीघा जमीन अनुदान में दी थी।
- ईस्ट इण्डिया कंपनी की ओर से व्यापार की स्वीकृति प्राप्त करने वाला अंग्रेज **'सर टॉमस रो'** (1615 ई) था, जिसने 10 जनवरी 1616 को **जहाँगीर से 'मैग्जीन का किला' अजमेर (राजस्थान) में मुलाकात** की।
- 1600 से 1756 ई. तक ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कंपनी औपनिवेशिक स्थिति में रही।
- अंग्रेजों ने **प्रथम कारखाना** (फैक्ट्री) 1608 ई. में सूरत में स्थापित किया, लेकिन **प्रथम वैधानिक अनुमति प्राप्त कारखाना 1611 ई. में मसूलीपट्टनम** में स्थापित किया।
- भारत में **अंग्रेजों का प्रथम किला 'फोर्ट सेंट जॉर्ज'** मद्रास में स्थापित किया गया।
- **'फोर्ट सेंट जॉर्ज'** के बाद बंगाल के सूबेदार शाहशुजा ने 1651 ई. में विशेष फरमान द्वारा 3000 रूपयें वार्षिक कर के बदले कम्पनी को बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार दे दिया।
- कंपनी के जॉब चारनाक द्वारा सुतानाती, गोविन्दपुर, कालिकाता तीनों गांवो को मिलाकर 1699 ई. में कलकत्ता की स्थापना की गई तथा कलकत्ता में **''फोर्ट विलियम''** किला बनाया गया।
- 1717 ई. में मुगल शासक फर्रूखशियर ने 3000 रूपये वार्षिक के बदले कंपनी को व्यापार का निःशुल्क फरमान देकर उसके व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया। सूरत में 1000 रूपयें वार्षिक अदा करने पर कंपनी के समस्त व्यापार को (आयात + निर्यात) शुल्क से मुक्त कर दिया। यही से कम्पनी मनमर्जी करने लग गई और आपस में संघर्ष प्रारम्भ होने लगे।
- 1707 ई. में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य छिन्न–भिन्न होने लगा और सारे देश में अशान्ति फैल गई। अंग्रेजों ने इस परिस्थिति का भरपूर लाभ उठाया।

- अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को 23 जून 1757 ई. को **प्लासी की लड़ाई** में और 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को **बक्सर के युद्ध** में पराजित किया।
- इसके बाद अंग्रेजों ने 1765 ई. में दिल्ली के नाममात्र शासक शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा के दीवानी अधिकार (सम्पत्ति के अभियोगों का निर्णय करने और भूमिकर इत्यादि इकट्ठा करने के अधिकार) प्राप्त कर लिये और इसके बदले में शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और कड़ा के जिले तथा 26 लाख रूपये वार्षिक पेन्शन देने का वायदा किया। 1765 ई. में बंगाल के नवाब मीर जाफर की मृत्यु हो गई।
- बंगाल, बिहार उड़ीसा को अंग्रेजों ने शेष भारत की विजय के लिए अपना आधार बनाया। क्लाइव ने कंपनी को बंगाल का वास्तविक शासक तो बना दिया, परन्तु अनेक कारणों से उसने बंगाल का प्रत्यक्ष शासन नहीं सम्भाला; बल्कि वह दीवानी से ही संतुष्ट रहा। अतः अंग्रेजों ने न्याय, शान्ति तथा सुरक्षा के विषय में कोई जिम्मेदारी नहीं संभाली, अपितु करों को इकट्ठा करने से ही अपना सम्बन्ध रखा। इस तरह बंगाल में दोहरा (द्वैध) शासन स्थापित हो गया।

☞ **नोट :** क्लाइव के दो उत्तराधिकारियों वैंसिटार्ट (1767) और कार्टियर (1770–72) के समय बंगाल में भयानक दुर्भिक्ष (अकाल) पड़े।

प्रोफेसर कीथ के अनुसारः– बंगाल की लगभग **एक–तिहाई** जनता इस अकाल से पीड़ित हो गई। इस आपत्तिकाल में भी अंग्रेजों ने अपने मनमाने कर जनता से वसूले तथा उनका शोषण जारी रखा''।

- कम्पनी के अधिकारियों ने अपनी जेबों को भरना शुरू कर दिया।
- इन सब बुराइयों को इग्लैंड की सरकार ने जिसे **गृह सरकार** भी कहा जाता था, 1773 ई. के रेग्यूलेटिंग एक्ट के द्वारा दूर करने का प्रयास किया। इसके द्वारा कंपनी के मामलों को नियमित किया गया।

❍ **अंग्रेजों ने मुख्यतः भारत में शासन दो प्रकार से किया :**

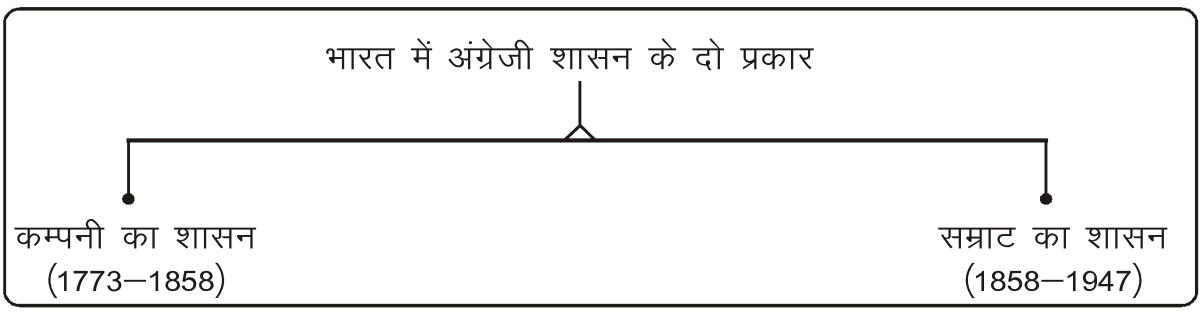

(C) भारत के प्रशासन को सँभालने के लिए ब्रिटिश शासनकालीन विभिन्न अधिनियम :

रेग्यूलेटिंग एक्ट, 1773

- भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का **प्रथम चरण**। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एंव कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ई. को रेग्यूलेटिंग एक्ट पारित किया।
- रेग्यूलेटिंग एक्ट ने एक ईमानदार शासन का आधारभूत सिद्धांत निश्चित किया। इस एक्ट के **प्रवर्तक** तत्कालीन **ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ** थें।
- ईस्ट इण्डिया कंपनी पर लागू किया गया 1773 का 'रेग्यूलेटिंग एक्ट' **ब्रिटिश ससंद से पारित पहला अधिनियम** था तथा यह पहला अवसर था, जब ब्रिटिश संसद ने कम्पनी के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया।
- मद्रास तथा बम्बई प्रेसीडेन्सी को बंगाल प्रेसीडेंसी के अधीन कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर **वारेन हैस्टिंग्स** को **तीनों प्रेसीडेंसियों का गवर्नर जनरल** बना दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स **बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल** था।
- गवर्नर जनरल को युद्ध, संधि, राजस्व संबंधी सभी अधिकार दिये गये। 4 सदस्यों (जॉन क्लेवरिंग, जॉन मॉनसन, फ्रासिंस फिलिप व रिचर्ड बारवेल) की **गवर्नर जनरल की परिषद्** बनाई गयी।
- परिषद् के **सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष** निर्धारित था। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद् **'सहशासी कार्यकारी सिद्धांत'** पर कार्य करने के लिए अधिकृत थी।
- गवर्नर जनरल की परिषद् को कम्पनी के अधीन प्रदेशों में शासन संचालन हेतु समय–समय पर नियम, अध्यादेश तथा विनियम के निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया।
- **1774 ई. में सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) की स्थापना 'कलकत्ता'** (तत्कालीन नाम 'फोर्ट विलियम') में की गई जिसमें **एक मुख्य न्यायाधीश** के साथ **तीन अन्य न्यायाधीश** थे, जिनकी **नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा** की जाती थी। सर्वोच्च न्यायालय के **प्रथम मुख्य न्यायाधीश** के पद पर **'सर एलिजा इम्पे'** को नियुक्त किया गया। अन्य तीन न्यायाधीश–रॉबर्ट चेम्बर्स, स्टीफन लेमेत्रे तथा जॉन हाइड थे।
- यह एक अभिलेख न्यायालय भी था। इसका कार्य क्षेत्र कलकत्ता नगर के नागरिकों तक ही सीमित था। इसके बाहर के मामलों की सुनवाई तभी हो सकती थी, जब दोनों पक्ष इसके लिए तैयार हों। इस न्यायालय को वीटों की शक्ति प्राप्त नहीं थी।
- नियम, अध्यादेश तथा विनियम का निर्माण उच्चतम न्यायालय की पूर्व स्वीकृति से किया जा सकता था हालांकि इसे लागू करने से पूर्व भारत सचिव से अनुमति लेना अनिवार्य था।

- इस अधिनियम के तहत कम्पनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया।
- इग्लैण्ड में कंपनी का प्रबंध निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) द्वारा किया जाता था। कुल 24 डायरेक्टर्स 4 वर्ष के लिए चुने जाते थे। 1000 पाउंड के शेयर धारक ही निदेशकों के चुनाव में हिस्सा ले सकते थें, पहले यह 500 पाउंड था। इससे कंपनी पर ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण व अधिकार हो गया।
- कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करके, उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यो में संचालन के योग्य बना दिया गया।

1781 का संशोधित अधिनियम

- एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 को रेग्यूलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को समाप्त करने के लिए लाया गया। इस अधिनियम को 1781 का संशोधन अधिनियम अथवा **अमेंडिग एक्ट (संशोधनात्मक अधिनियम) 1781** के नाम से भी जाना जाता हैं। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, और उड़ीसा (वर्तमान ओडिशा) के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। इस प्रकार कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के दो स्रोत प्राप्त हो गये।
- पहला, रेग्यूलेटिंग एक्ट के अधीन वह कलकत्ता प्रेसीडेन्सी के लिए तथा दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अन्तर्गत बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए विधि बना सकती थी।
- अधिनियम के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अपनी आज्ञाएँ तथा आदेश लागू करते समय भारतीयों के धार्मिक तथा सामाजिक रीति–रिवाजों को ध्यान में रखना अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद् द्वारा बनाये गये नियमों एवं विनियमों को सर्वोच्च न्यायालय के पास पंजीकृत करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी।

  इस कानून द्वारा कलकत्ता (कोलकाता) के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया।
- इसके लिए यह व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिन्दूओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदूओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करे।
- इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा काउंसिल के द्वारा किए गए कार्य तथा पदीय दायित्वों के पालन के दौरान लिए गए निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिए गए।
- प्रांतीय न्यायालयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में न होकर गवर्नर–जनरल की काउंसिल में होने का प्रावधान किया गया। साथ ही गवर्नर–जनरल की काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम बनाने हेतु अधिकृत किया गया।

पिट्स इण्डिया एक्ट, 1784

- भारत में कम्पनी के कुशासन तथा उसके कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे अन्याय तथा अत्याचार के कारण कम्पनी की गिरती साख को बचाने के लिए ब्रिटिश संसद ने यह अधिनियम पारित किया।
- इससे ईस्ट इण्डिया कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक कार्य–कलापों को एक–दूसरे से अलग कर दिया गया।
- पिट्स इंडिया एक्ट के विवादों को ही लेकर लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की गठबंधन सरकार को त्याग–पत्र देना पड़ा।
- **इस अधिनियम का शीर्षक था**– 'भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र'। यह कंपनी द्वारा अधिगृहीत भारतीय राज्यक्षेत्रों पर **ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज** था।
- कंपनी के शासन को पुनर्गठित करके उसके राजनीतिक दायित्वों का भार 6 सदस्यीय नियंत्रण मण्डल (बोर्ड ऑफ कंट्रोल) को सौंप दिया गया था। ये 6 सदस्य इस प्रकार थे–एक ब्रिटेन का राजकोष का चांसलर, दूसरा विदेश सचिव तथा सम्राट द्वारा चुने गए प्रिवी काउंसिल के चार सदस्य। एक मंत्री को इस नियंत्रण मण्डल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नियंत्रण मण्डल को भारत सरकार के नाम से दिए गए कम्पनी के आदेशों एंव निर्देशों को स्वीकृत तथा अस्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया गया।
- गवर्नर जनरल की परिषद् की सदस्य संख्या चार से कम करके तीन कर दी गयी। इन सदस्यों में से एक सदस्य का सेनापति होना अनिवार्य कर दिया गया।
- इस परिषद् को युद्ध, संधि, राजस्व, सैन्य शक्ति तथा देशी रियासतों के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गयी। प्रान्तीय शासन के लिए केन्द्रीय आदेशों का अनुपालन आवश्यक कर दिया गया। अवज्ञा करने पर गवर्नर जनरल को प्रान्तीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लिए जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।
- भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैण्ड में कोर्ट की स्थापना की गई।
- गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि से पूर्व नियंत्रण मंडल से स्वीकृति लेना आवश्यक कर दिया गया। यह पहला और अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मामले पर ब्रिटिश सरकार गिर गयी; क्योंकि इस अधिनियम के कारण मंत्रीपरिषद् को इस्तीफा देना पड़ गया था।
- इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था की शुरूआत हुई, जो 1858 ई. तक विद्यमान रही। एक कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्र्स द्वारा तथा दूसरा सम्राट द्वारा नियुक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा।
- इस एक्ट द्वारा भारतीय वित्त पर गवर्नर जनरल का व्यापक नियंत्रण स्थापित किया गया।

1786 का अधिनियम

- 1786 में लॉर्ड कार्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, परन्तु कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उसने खुद को कमाण्डर इन चीफ अथवा सेनापति तथा विशेष मामलों में काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार देने की शर्तें रखी। जिसे 1786 के अधिनियम में शामिल कर लिया गया।
- इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को **प्रधान सेनापति की शक्तियाँ** प्रदान की गई तथा साथ ही गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद् के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया।
- **सर्वप्रथम लॉर्ड कार्नवालिस को गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति चुना गया।**

1793 का चार्टर एक्ट

- 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट में कम्पनी को अगले 20 वर्षों तक पूर्वी देशों में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, जिसकी समय सीमा 1794 में समाप्त होने वाली थी अतः कम्पनी को व्यापार हेतु पुनः अधिकृत करने के लिए चार्टर एक्ट 1793 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया।

1. इस कानून द्वारा कमाण्डर इन चीफ के गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, बशर्ते उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो।
2. इसने कार्नवालिस को दी गयी काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियो के गर्वनरों तक विस्तारित कर दिया।
3. इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की।

- कम्पनी के कार्यो और संगठन में सुधार करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम की एक मुख्य विशेषता यह थी कि इसमें पूर्व अधिनियमों के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया था।
- **कम्पनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षो के लिए बढ़ा दिया** गया।
- शासकों के व्यक्तिगत नियमों की जगह ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में लिखित विधि–विधानों द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गयी। इन लिखित नियमों व विधियों की व्याख्या न्यायालय द्वारा किया जाना निर्धारित किया गया। गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की परिषदों के सदस्य की योग्यता के लिए सदस्य को कम से कम 12 वर्षो तक भारत में रहने के अनुभव को आवश्यक कर दिया गया।
- गवर्नर जनरल बहुमत की उपेक्षा करके स्वयं कोई भी निर्णय ले सकता था। कर्मचारियों तथा नियत्रंण बोर्ड के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व में से दिया जाने लगा तथा यह सिलसिला 1919 तक चला।

1813 का चार्टर एक्ट या मुक्त व्यापार कानून एक्ट

- नियत्रंण मंडल की अधीक्षण तथा निर्देशन की शक्ति को स्पष्ट करते हुए उसका विस्तार किया गया।
- कम्पनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया, लेकिन ये नियुक्तियाँ ब्रिटिश राज्यपद की स्वीकृति से की जा सकती थी।
- स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया और राजस्व संबंधी नियमों तथा लेखांकन की व्यवस्था की गयी।
- कम्पनी के व्यय पर अधिकतम **20,000 अंग्रेज सैनिक रखने की व्यवस्था** की गयी।
- यह एक्ट कम्पनी शासन और व्यापार के नवीनीकरण के लिए लाया गया।
- इस एक्ट का महत्व इसलिए भी है कि इसके द्वारा कम्पनी के एकाधिकार कुछ हद तक कम कर दिये गये।
- इस एक्ट में भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया तथा कर भुगतान नहीं करने पर दण्ड की व्यवस्था की गयी।

☞ **नोट :** जिस प्रकार 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गयी; उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 25 में वर्तमान में सभी को अपने **धर्म प्रचार की स्वतंत्रता** प्राप्त है।

- इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों के निवासियों के बीच **पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार** की व्यवस्था दी।
- कम्पनी के एकाधिकार को समाप्त करने, ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग, लॉर्ड वेलेजली की भारत में आक्रामक नीति तथा कम्पनी की शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण 1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया।
- कम्पनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके अन्य ब्रिटिश नागरिकों को भी व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया। यद्यपि कम्पनी का चीन से व्यापार एवं चाय के व्यापार पर अधिकार बना रहा।
- कम्पनी को और अगले 20 वर्षो के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया।
- ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दी गयी।
- भारतीयों की शिक्षा पर एक लाख रूपयें की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया।
- 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट की गयी।

1833 ई. का चार्टर एक्ट

- भारत में संविधान निर्माण का **प्रथम प्रारूप 1833 ई. के चार्टर एक्ट** में मिलता हैं।
- कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार (चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने संबंधी) को समाप्त करके उसे प्रशासनिक तथा राजनीतिक संस्था बना दिया गया तथा ब्रिटिश शासकों की ओर से भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व संबंधी अधिकार कम्पनी को सौंप दिये गये।
- ईस्ट इंडिया कम्पनी के नियंत्रण मण्डल के अधिकार को सीमित किया गया तथा लॉर्ड प्रेसिडेंट, लॉर्ड प्रीवी काउंसिल, कोषागार मंत्री, वित्त मंत्री तथा राज्य के प्रमुख मंत्रियों को नियंत्रण मण्डल का पदेन सदस्य बनाया गया।
- बंगाल के गवर्नर जनरल को सम्पूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। इस प्रकार भारत के प्रशासन का केन्द्रीकरण कर दिया गया। **प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक** को बनाया गया।

☞ **नोट**–बंगाल का **प्रथम गवर्नर 'लॉर्ड क्लाइव'** तथा **बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 'वारेन हेस्टिंग्स'** था।

- गवर्नर जनरल की परिषद् में चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य (**पहला विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले**) की नियुक्ति की गई।
- विधि के संहिताकरण के लिए आयोग के गठन का प्रावधान किया गया तथा आयोग के गठन का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया।
- 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में **भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन** किया गया।
- इसी एक्ट के तहत भारत में **1843 ई. में दास प्रथा पर प्रतिबंध** लगाया गया।
- **गवर्नर जनरल की परिषद्** को सम्पूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन इस कानून को नियंत्रण मण्डल अस्वीकृत कर सकता था। ये कानून सभी न्यायालयों द्वारा लागू किये जाते थे। इस प्रकार **कानून बनाने की शक्ति का भी केन्द्रीकरण कर दिया गया।**
- गवर्नर जनरल की परिषद् को राजस्व के सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया तथा सम्पूर्ण देश के लिए एक ही बजट की व्यवस्था की गयी, जो गवर्नर जनरल द्वारा तैयार किया जाता था।
- कम्पनी के प्रदेशों में निवास करने वाले भारतीय या ब्रिटिश प्रजाजन को धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर कम्पनी के अधीन पद धारण करने के लिए अयोग्य न ठहराए जाने का प्रावधान किया गया।

- अधिनियम के द्वारा कम्पनी को अगले 20 वर्षो के लिये भारत का ट्रस्ट के रूप में नियंत्रण में रखने तथा प्रशासन करने की अनुमति प्रदान की गई।
- इस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिताओं की प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया गया। यद्यपि इस प्रावधान को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के बाद नकार दिया गया, जो कम्पनी के अधिकारियों को नियुक्त करने का विशेषाधिकार रखता था।
- सेंट हेलेना द्वीप का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कम्पनी से क्राउन को स्थानान्तरित कर दिया गया।

1853 ई. का चार्टर एक्ट

- 1833 के चार्टर अधिनियम के अधीन कुछ हद तक भेदभाव समाप्त किये जाने के कारण भारतीयों की ओर से कम्पनी के प्रतिक्रियावादी शासन की समाप्ति की मांग पर तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर जो कम्पनी के प्रशासन में सुधार के लिए पेश की गई थी, 1853 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया।

❍ **इस अधिनियम के निम्न प्रावधान है:–**

1. ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कम्पनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर था।
2. निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से कम कर 18 कर दी गयी तथा इनमें से 6 सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार ब्रिटिश राजा को प्रदान किया गया। निदेशक मण्डल के सदस्यों के लिए योग्यता विहित की गयी।
3. कार्यकारिणी परिषद के कानूनी सदस्य को परिषद् के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया।
4. भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इग्लैण्ड में विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया।
5. 1853 ई. के अधिनियम के तहत ही सर्वप्रथम सम्पूर्ण भारत के लिए एक विधानमण्डल की स्थापना की गई तथा प्रथम बार भारतीय केन्द्रीय विधान परिषद् में स्थानीय प्रतिनिधित्व आरम्भ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद् के **6 सदस्यों में से चार का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई** और **आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा** किया गया।
6. इस एक्ट द्वारा बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया।
7. भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति (1854) का गठन किया गया। इस एक्ट में खुली प्रतियोगिता के तहत् भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का अवसर दिया गया। **भारत के प्रथम आई.सी.एस. (I.C.S.) 'सत्येन्द्र नाथ टैगोर' थे।**

8. गवर्नर जनरल को अपनी परिषद् के उपाध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया।

.9. कार्यपालिका परिषद् को विधायी कार्य के लिए अधिकृत किया गया।

10. विधायी कार्यो को प्रशासनिक कार्यो से पृथक करने की व्यवस्था की गयी।

11. पूर्व अधिनियमों की भांति इस अधिनियम में किसी निश्चित समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कम्पनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था।

भारत सरकार अधिनियम, 1858 ई.

- प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दमन के बाद ब्रिटिश संसद के निम्न सदन (हाउस ऑफ कॉमन्स) ने 30 अप्रैल, 1858 को दो प्रस्ताव स्वीकृत किये, जिनके आधार पर भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए विधेयक तैयार किया गया।

❍ **ब्रिटिश संसद द्वारा पारित विधेयक अधिनियम बन कर प्रवृत हुआ। इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित थे :–**

1. भारत में कम्पनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तथा शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया।

2. कम्पनी के निदेशक मण्डल, नियन्त्रण मण्डल तथा गुप्त समिति को समाप्त करके इनके अधिकारों तथा शक्तियों के प्रयोग का अधिकार साम्राज्ञी की ओर से नियुक्त मुख्य राज्य सचिव जिसे भारत राज्य सचिव का पदनाम दिया गया, को सौंप दिया गया, अर्थात् भारतीय प्रशासन के लिए एक नये पद **'भारत सचिव' का सृजन** किया गया जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था।

3. कम्पनी की सेनाओं को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया।

4. 1858 ई. के अधिनियम को **'1858 एक्ट फार दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया', 'भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम'** के नाम से भी जाना जाता हैं।

5. 1858 के अधिनियम के तहत् 1784 के पिट्स इण्डिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई।

6. भारत के गवर्नर जनरल को अब **वायसराय की उपाधि** मिली, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था।

7. **अन्तिम भारतीय गवर्नर जनरल व प्रथम भारतीय वायसराय लॉर्ड कैनिंग** थे।

8. भारत राज्य सचिव के कार्यो में सहायता देने के लिए **15 सदस्यों की एक 'भारत परिषद्' की स्थापना** की गई, जिसमें **8 सदस्य ब्रिटिश सरकार** द्वारा तथा **7 सदस्य कम्पनी के निदेशकों द्वारा** नियुक्त किये जाते थे।

9. भारत परिषद् की भूमिका को केवल परामर्शदात्री बनाया गया, जबकि प्रायः समस्त मामलों में राज्य सचिव ही पहल कर सकता था अथवा निर्णय ले सकता था।

10. भारत राज्य सचिव को भारत के वायसराय के साथ **गुप्त पत्र व्यवहार का अधिकार** दिया गया।

11. भारत राज्य सचिव को ब्रिटिश संसद के समक्ष भारत के बजट को प्रतिवर्ष रखने का अधिकार दिया गया।

1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा या इलाहाबाद घोषणा

- 1 नवम्बर, 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारत के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा की, जिसे कुछ हद तक **भारतीय संविधान का आधार** माना जा सकता हैं।

इस घोषणा की मुख्य बातें –

1. भारतीय प्रजा को ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा।
2. धार्मिक सहिष्णुता एवं स्वतंत्रता की नीति का पालन किया जायेगा।
3. भारत के लोगों के भौतिक तथा नैतिक उन्नति के उपाय लागू किये जायेंगे।
4. भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा इसे अपने अधिकारों का **"मैग्नाकार्टा"** कहा गया।

1861 का भारत परिषद् अधिनियम

- 1 अगस्त, 1861 को लागू इस अधिनियम ने **भारत में प्रतिनिधि संस्थानों को जन्म** दिया।
- वायसराय की कार्यकारी परिषद् को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गयी, जिसके तहत् लॉर्ड कैनिंग ने सर्वप्रथम विभागीय प्रणाली की शुरूआत की तथा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली।
- गवर्नर जनरल को विधायी कार्यो हेतु नये प्रान्त के निर्माण का तथा नव निर्मित प्रान्त में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया।
- गवर्नर जनरल को यह अधिकार भी दिया गया कि वह किसी प्रान्त, प्रेसीडेंसी या अन्य किसी क्षेत्र को विभाजित कर सकता हैं।
- अधिनियम द्वारा केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। पाँचवें सदस्य को विधिवेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया।
- केन्द्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, डाक एवं तार, धर्म और स्वत्वाधिकार के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार से अधिक अधिकार दिये गए।

- गवर्नर जनरल की विधान परिषद् की संख्या में वृद्धि की गयी। अब इस परिषद् में कम से कम 6 सदस्य तथा अधिक से अधिक 12 सदस्य हो सकते थे। ये सदस्य दो वर्ष के लिए मनोनीत किये जाते थें।
- गवर्नर जनरल भारत की शांति, सुरक्षा व ब्रिटिश हितों के लिए परिषद् के बहुमत की उपेक्षा कर सकता था।
- गवर्नर जनरल को **पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति** दी गई तथा **विधेयक पर वीटो की शक्ति** भी प्रदान की गई।
- भारत में मद्रास, बम्बई व कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया।
- गवर्नर जनरल की परिषद् सप्ताह में एक बार बैठक करती थी जिसकी अध्यक्षता वायसराय करता था। इस अधिनियम द्वारा प्रान्तीय विधायिका तथा देश के शासन का विकेन्द्रीकरण प्रारम्भ हुआ।

1865 का अधिनियम

- 1865 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकार में वृद्धि की गयी। गवर्नर जनरल को प्रेसीडेन्सियों तथा प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत करने तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया।

1869 का अधिनियम

- इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को **विदेश में रहने वाले भारतीयों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार** दिया गया।

1873 का अधिनियम

- इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि किसी भी समय ईस्ट इण्डिया कंपनी को भंग किया जा सकता हैं। इस नियम के अनुसरण में **1 जनवरी 1874 को ईस्ट इण्डिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया** गया।

1876 का शाही उपाधि अधिनियम

- औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार को अन्तरण मान्य किया गया।
- गवर्नर जनरल की परिषद् में छठे सदस्य की नियुक्ति की गयी, जिसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया।
- 28 अप्रैल, 1876 को एक घोषणा द्वारा **महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित** किया गया।

- शाही उपाधि अधिनियम 1876 जिसे **रॉयल टाइटल एक्ट** (The Royal Title Act 1876) के नाम से भी जाना जाता है। आधिकारिक तौर पर यह अधिनियम ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी के रूप में मान्यता देता है।
- यह उपाधि साम्राज्ञी ने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिजरायली के प्रोत्साहन पर धारण की।

1892 का भारत परिषद् अधिनियम

- 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नौकरशाही के कार्यों के विरूद्ध संसदीय संरक्षण को सुनिश्चित करने की माँग की गयी। कांग्रेस की मांग को ध्यान में रखते हुए तथा शासन प्रणाली में और अधिक सुधार करने हेतु 1892 का अधिनियम पारित किया गया।

1. केन्द्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गयी। इस परिषद् में कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 16 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गयी।
2. अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरूआत की गयी।
3. संसदीय व्यवस्था की शुरूआत की गयी।
4. केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधानपरिषद् के दो–तिहाई सदस्यों को निर्वाचन द्वारा नियुक्त किये जाने की व्यवस्था की गयी।
5. निर्वाचन का सिद्धांत स्वीकार किये जाने के बावजूद निर्वाचित सदस्यों को केवल शासन द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने की अवस्था में ही अधिवेशन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई।
6. केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की गयी। इनके सदस्यों को सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रश्न पूछने तथा बजट एवं वार्षिक वित्तीय विवरण पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया।
7. सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने 1892 के अधिनियम को **'संसदीय शासन' की शुरूआत** तथा **प्रतिनिधि शासन की नींव का प्रस्तर** कहा।

1909 ई. का भारतीय परिषद् एक्ट

- 1892 के अधिनियम के बाद ब्रिटिश शासकों ने **'फूट डालो और राज करो'** की नीति का अनुसरण किया। इस संदर्भ में **1905** में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा **बंगाल का विभाजन** किया गया।

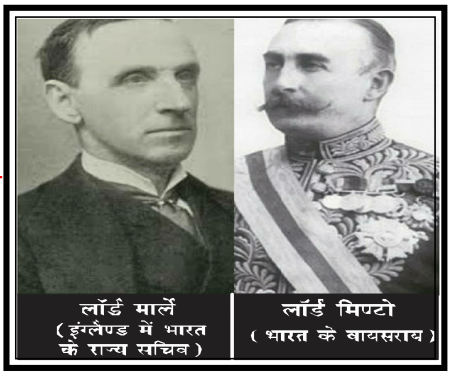
लॉर्ड मार्ले (इंग्लैण्ड में भारत के राज्य सचिव)

लॉर्ड मिण्टो (भारत के वायसराय)

- 1905 में ब्रिटेन में सम्पन्न आम चुनाव के बाद उदारवादी सरकार का गठन हुआ और उस समय **लॉर्ड मार्ले इंग्लैण्ड में भारत के राज्य सचिव** तथा **लॉर्ड मिण्टों भारत के वायसराय** बने।
- मार्ले तथा मिण्टों की सिफारिश के आधार पर 1909 का अधिनियम जिसे **'मार्ले मिण्टो सुधार'** भी कहा जाता हैं पारित किया गया–

1. इस अधिनियम के द्वारा केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधानमण्डलों के आकार तथा शक्तियों में वृद्धि की गई।
2. केन्द्रीय विधान परिषद् में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गयी।
3. साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरूआत।
4. 25 मई, 1909 को लॉर्ड मार्ले द्वारा प्रस्तुत इंडियन काउंसिल्स बिल पास हो गया और 15 नवम्बर, 1909 को राजकीय अनुमति मिलने के बाद भारत परिषद् अधिनियम 1909 के नाम से लागू हो गया।
5. प्रान्तीय विधान परिषदों की सीटों की संख्या में भी वृद्धि की गयी बंगाल में 55, मद्रास, बम्बई तथा संयुक्त प्रान्त में 47–47, पंजाब में 25 और बर्मा में 16 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गयी। केन्द्रीय विधानपरिषद की संख्या 1912 में 69 कर दी गई।
6. सर्वप्रथम पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारम्भ किया गया तथा विभिन्न समुदायों, जातियों एवं धार्मिक वर्गो को विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व दिया गया।
7. विधानपरिषद् के कार्यो में वृद्धि की गयी तथा बजट पर विचार–विमर्श के लिए विस्तृत नियम बनाये गयें।
8. विधान परिषद् के सदस्यों को वित्तीय विवरण की विवेचना करने का अधिकार प्रदान किया गया, परन्तु सरकार की निन्दा करने वाला अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई।
9. विधानपरिषद् में किसी भी विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
10. विधान परिषदों में सामान्य तथा सार्वजनिक हित के मामलों पर बहस करने के लिए नियम बनाये गयें।
11. 1909 ई. के अधिनियम का उद्देश्य कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को खुश करना व राष्ट्रवाद के उगते पौधे को नष्ट करना था।
12. मार्ले मिण्टो सुधारों में मुसलमानों को पृथक साम्प्रदायिक निर्वाचन दिया गया, जिसने भारत में साम्प्रदायिकता और भावी विभाजन के बीज बो दिये।
13. इसके लिए लॉर्ड मार्ले ने वायसराय मिन्टो को एक पत्र में पृथक निर्वाचन के बारें में लिखा 'हम घातक विष के बीज (नागदन्त) बो रहे हैं, जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी।
14. **लॉर्ड मिण्टो को साम्प्रदायिक निर्वाचन का जनक** कहते हैं।
15. इस अधिनियम के बारे में के.एम. मुन्शी ने कहा कि ''इन्होनें उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला।'' इस 1909 के भारत परिषद् अधिनियम के तहत भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनो में अधिकार दिये गये।
16. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था।

केन्द्रीय विधानपरिषद् की स्थिति

- केन्द्रीय विधान परिषद् की कुल सदस्य संख्या 69 हो गई जिनमें
  - 37 सरकारी – शासकीय
  - 32 गैर सरकारी – अशासकीय
- 37 सरकारी सदस्यों में
  - गर्वनर जनरल
  - 7 कार्यकारी परिषद्
  - 1 साधारण सदस्य
  - 28 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत
- 32 गैर सरकारी सदस्यों में
  - 5 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत
- 27 निर्वाचित–
  - 13 साधारण निर्वाचन मण्डल से
  - 12 विशेष श्रेणी निर्वाचन मंडल से
  - 2 बम्बई तथा बंगाल के वाणिज्य मण्डलो से।

भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम)

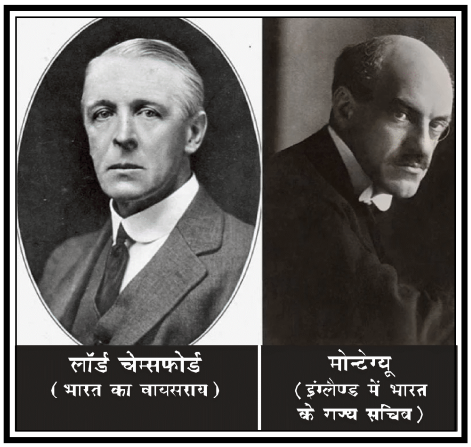

- भारत में क्रमिक विकास द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक विधेयक बनाया गया जिस पर 23 दिसम्बर, 1919 को सम्राट की स्वीकृति मिली। इसी अधिनियम को 'भारत सरकार अधिनियम 1919' के नाम से जाना जाता हैं।
- मॉन्टेग्यू – भारत सचिव।
- लॉर्ड चेम्सफोर्ड – वायसराय। इस अधिनियम में एक प्रस्तावना जोड़ी गई जिसमें 20 अगस्त, 1917, को घोषित मॉण्टेग्यू घोषणा को लगभग पूर्णतयाः स्वीकार कर लिया गया।
- भारत शासन अधिनियम 1919 की पृष्ठभूमि के रूप में ''होमरूल आंदोलन'' की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

❖ इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ :

1. इस अधिनियम द्वारा प्रांतो में तो आंशिक रूप से उत्तरदायी, परन्तु केन्द्र में उत्तरदायित्व विहीन शासन ही बना रहा।

2. भारतीय उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुके व्यक्ति को केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् का सदस्य बनने योग्य माना गया। इस अधिनियम द्वारा केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् में भारतीयों की सदस्य संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई।

3. इस अधिनियम से पहले भारत में एक सदनात्मक विधानमण्डल था परन्तु अब द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाया गया। द्विसदनात्मक विधानमण्डल अग्रलिखित है –

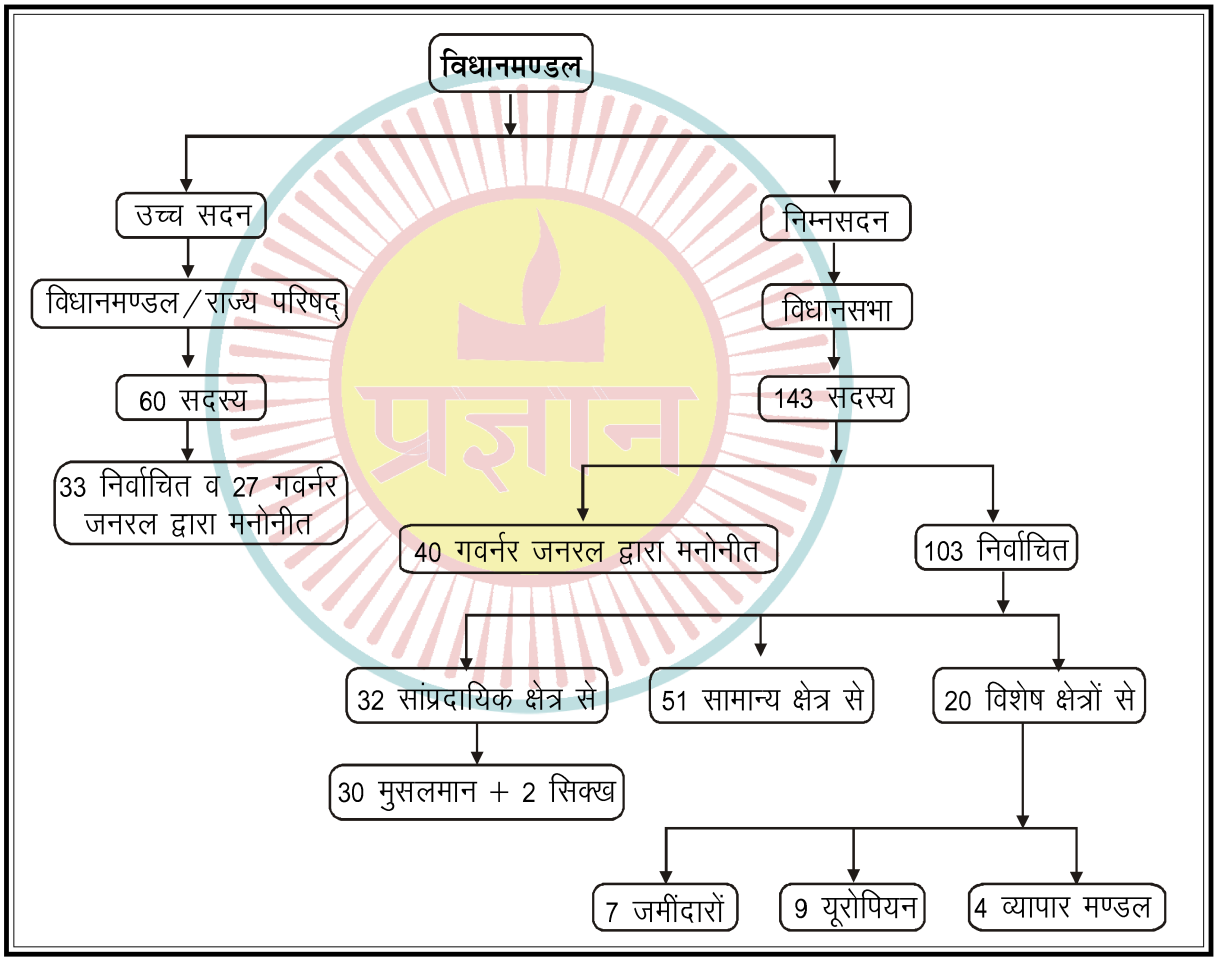

4. **प्रांतो में द्वैध शासन प्रणाली** : द्वैध शासन को अंग्रेजी में **'डायर्की'** कहते हैं जो दो ग्रीक शब्दों **'डाई (दोहरे)** व **'आर्की' (शासन)** से बना हैं अर्थात् दोहरा शासन। द्वैध शासन का जनक 'लियोनिल कार्टिस' को माना जाता हैं।

5. प्रांतो में द्वैध शासन प्रणाली 1 अप्रैल, 1919, से आरम्भ की गयी। प्रांतों में विषयों को आरक्षित व हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल, 1937 को प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया।

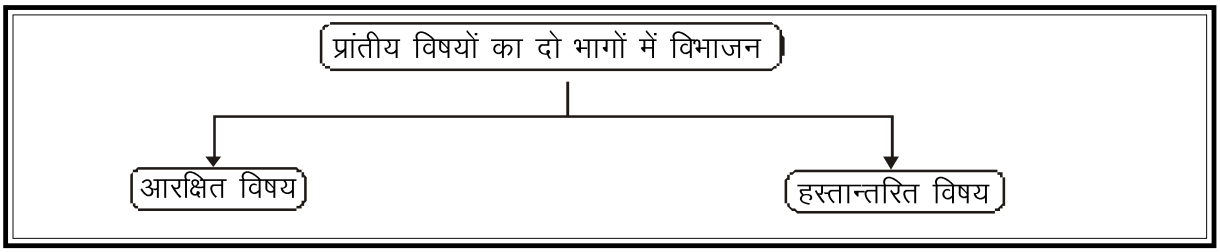

6. **प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद् में आधे सदस्य भारतीय** – 3 प्रांतो में कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 4 तथा शेष 6 प्रांतो में उनकी संख्या 2 निश्चित की गई, जिसमें से आधे सदस्य भारतीय होंगे।

7. **शक्तियों का विभाजन** – केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया जिनमें राष्ट्रीय महत्व के 47 विषय केन्द्र के अधीन, जिन पर कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई। 50 विषय प्रान्तों के अधीन जिन पर कानून बनाने की शक्तियाँ प्रांतीय सरकारों को तथा जो विषय किसी भी सूची में नहीं थे उस पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र को दिया गया।

8. भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के निर्माण की दिशा में भारत सरकार का 1919 अधिनियम पहला प्रयास था।

9. इस अधिनियम के तहत सिक्खों, यूरोपियों, आंग्ल भारतीयों और ईसाईयों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।

10. भारतीय प्रशासन पर भारत सचिव का पूर्ण नियंत्रण यथावत रहा। गवर्नर जनरल व प्रान्तों के गवर्नर सभी मामलों की जानकारी भारत के सचिव को देंगे तथा उसके आदेशों तथा निर्देशों का पालन करेंगे।

11. मॉण्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में एक नरेश मण्डल निर्माण का सुझाव दिया गया, जिसके तहत 8 Feb 1921, को दिल्ली में नरेश मण्डल की स्थापना की गयी, जिसमें कुल 121 राजा उपस्थित थे। नरेश मण्डल का मुख्यालय दिल्ली रखा गया तथा इसका अध्यक्ष वायसराय को बनाया गया।

12. इस अधिनियम में ली कमीशन की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक 'केन्द्रीय लोक सेवा आयोग' के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसका गठन 1926 में किया गया।

13. इस अधिनियम के तहत 1921 में सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया जिसे पुनः 2017 में विलय कर दिया गया।

14. इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई और जनता का मताधिकार 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया।

15. इस कानून ने सम्पत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया, जिनकी आय 10 हजार रू. वार्षिक थी, वही मत दे सकते थे।

☞ **नोट :** **मॉण्टेग्यू** ने इस अधिनियम के बारे में कहा कि ''यह एक अंतरकालीन उपागम है। भारत पर ब्रिटिश संसद द्वारा शासन और भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन के बीच यह एक पुल के समान हैं।''

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय शासन अधिनियम को **'निराशाजनक तथा अंसतोषप्रद'** की संज्ञा दी। **लोकमान्य तिलक** ने 1919 के सुधारों को **'एक बिना सूरज का सवेरा'** बताया।
- सुभाष चन्द्र बोस ने इसे भारतीयों के लिए **'बेड़ियों का नया जाल'** कहा, वहीं **श्रीनिवासन** ने इसे **'नौकरशाही प्रशासन की पद्धति का प्रथम उल्लंघन'** कहा। इस अधिनियम में **पहली बार 'उत्तरदायी शासन'** शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया था।

❖ साइमन कमीशन :

- भारत शासन अधिनियम 1919 को पारित करते समय यह घोषणा की गई थी कि 10 वर्ष बाद इन सुधारों की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो इन सुधारों की समीक्षा करेगा।
- परन्तु निर्धारित समय से पहले ही नवम्बर, 1927 में इस अधिनियम (भारत शासन अधिनियम 1919) की समीक्षा के लिए कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है।

- 3 फरवरी, 1928 को साइमन कमीशन भारत आया जिसमें सातों सदस्य अंग्रेज थे। अतः एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत के सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया।
- साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि 1919 का सुधार अधिनियम भारत में असफल रहा। साइमन आयोग की रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित हुई जिसमें निम्न सुझाव दिए गए–

1. भारत में उत्तरदायी शासन का प्रयोग सफल नहीं रहा।
2. द्वैध शासन का अंत कर दिया जाना चाहिए।
3. भारत में एकात्मक की जगह संघीय व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।
4. मताधिकार और विधान–मण्डलों का विस्तार किया जाना चाहिए।
5. केन्द्रीय विधानमण्डल के लिए प्रांतीय विधान मण्डलों द्वारा परोक्ष रूप से चुनाव किया जाना चाहिए।
6. साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निंदनीय है।

- साइमन कमीशन का विरोध कर रही भीड़ का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपतराय की पुलिस द्वारा किए गए लाठी चार्ज में लाहौर में मृत्यु हो गई।
- मरने से पूर्व लाला लाजपतराय ने कहा था "मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं, वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की शवपेटी की कीलें साबित होंगी।"

❖ साम्प्रदायिक अवॉर्ड :

- ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त, 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की, जिसे कम्यूनल अवॉर्ड या साम्प्रदायिक अवॉर्ड के नाम से जाना जाता है।
- इस अवॉर्ड द्वारा मुस्लिमों, सिक्खों, ईसाइयों, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था को दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया।
- दलितों के लिए प्रदत्त अलग निर्वाचन व्यवस्था से गाँधी जी बहुत व्यथित हुए और उन्होनें अवॉर्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारम्भ कर दिया।
- अंततोगत्वा कांग्रेस नेताओं (गाँधीजी) और दलित नेताओं (अम्बेडकर) के बीच एक समझौता 24 सितम्बर, 1932 को हुआ, जिसे पूना समझौते (पूना पैक्ट) के नाम से जाना गया।
- इसमें संयुक्त हिन्दू निर्वाचन को यथावत रखा गया और दलितों के लिए अलग से स्थान आरक्षित कर दिये गये।

❖ गाँधी–इरविन समझौता (1931) :

- यह समझौता तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयासों से गाँधीजी एवं इरविन के मध्य 5 मार्च, 1931 को हुआ।
- इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है।
- इस समझौते के दौरान इरविन ने गाँधीजी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी कर लिया।

भारत सरकार अधिनियम, 1935

- यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1933 में तैयार किये गये श्वेत पत्र पर आधारित था, जिसे **2 अगस्त, 1935** को पारित किया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रथम बार संघात्मक सरकार की स्थापना की गयी। भारत सरकार अधिनियम 1935 अब तक का **सबसे बड़ा, लम्बा** और **जटिल अधिनियम** था। इसके अन्तर्गत **321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ, 45 धाराएँ** एवं **15 परिशिष्ट** थें।
- भारत के **वर्तमान संविधान का एक बड़ा भाग इस अधिनियम पर आधारित है।**

❖ **इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है :–**

- इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतो का शामिल होना अनिवार्य, किन्तु देशी रियासतों का सम्मिलित होना उनके नरेंशों की इच्छा पर निर्भर था।
- संघ तथा प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। अधिनियम में **तीन सूचियाँ** शामिल की गयी थी, जिसमें भिन्न–भिन्न विषयों को शामिल किया गया था। ये सूचियाँ थी :–

1. संघ सूची (59 विषय) 2. प्रांतीय सूची (54 विषय) 3. समवर्ती सूची (36 विषय)

- अवशिष्ट विषयों पर नियम बनाने का अधिकार वायसराय को दिया गया।
- इस अधिनियम द्वारा मुसलमान, सिक्ख, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, यूरोपियों के अतिरिक्त हरिजनों (दलित वर्गों) के लिए भी **पृथक् निर्वाचन क्षेत्र बनाये गये**।
- **'राज्य लोक सेवा आयोग'** तथा दो या दो से अधिक **राज्यों के लिए 'संयुक्त लोक सेवा आयोग'** की स्थापना की गई।
- इस अधिनियम द्वारा **केन्द्रीय विधानमण्डल** के तीन अंग बनाये गये–

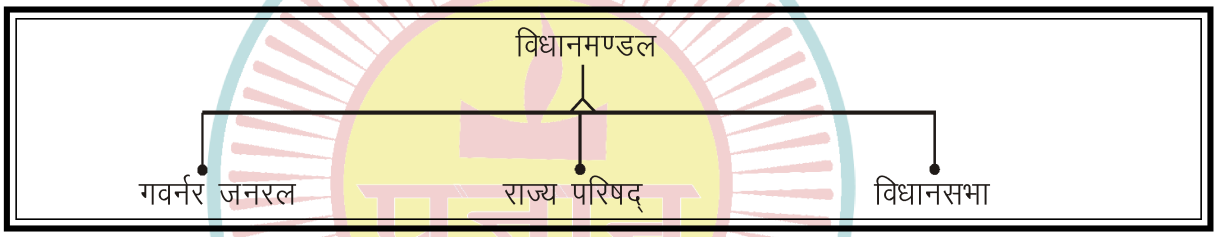

- प्रांतों में **द्वैध शासन व्यवस्था का अन्त** कर प्रांतों को स्वतंत्रता तथा स्वशासन का अधिकार दिया गया अर्थात् **प्रांतो में स्वायत्तता** की स्थापना की गई जो **अप्रैल, 1937 को अस्तित्व** में आई।
- प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर **केन्द्र में द्वैध शासन व्यवस्था** को लागू (1919 के अधिनियम में जैसे संघीय विषयों को दो भागों आरक्षित व हस्तांतरित में बांटा गया) किया गया।
- इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करना था। गवर्नर जनरल और गवर्नरों को विशेष परिस्थितियों में उत्तरदायी शासन में हस्तक्षेप करने के व्यापक अधिकार प्रदान किये गए। यह स्वशासन की धारणा के प्रतिकूल था।
- भारतीय शासन के सम्बन्ध में अंतिम शक्ति ब्रिटिश संसद के पास थी।
- राज्य परिषद् तथा केन्द्रीय विधानसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था।
- **एक संघीय न्यायालय की 1937 में दिल्ली में स्थापना** की गयी। इसे संविधान की व्याख्या का प्राथमिक तथा पुनर्विचार का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया, परंतु **अंतिम निर्णय का अधिकार अब भी प्रिवी काउंसिल** को प्राप्त था।
- **भारत राज्य सचिव की परिषद् को समाप्त** करते हुए उसे मंत्रणा देने के लिए सलाहकार परिषद् की व्यवस्था की गई। परिषद् के सदस्यों की संख्या 3 से 6 हो सकती थी। राज्य सचिव, सलाहकार परिषद् की सलाह को सेना के विषय को छोड़कर मानने के लिए बाध्य नहीं था।

- केन्द्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का गठन किया गया। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 375 व राज्य परिषद् में सदस्यों की संख्या 260 थी।

1. 11 प्रान्तों में से 6 प्रांतो में द्विसदनात्मक तथा शेष 5 में एक सदनात्मक विधानमण्डल थे।
2. निम्न सदन के गठन हेतु प्रत्यक्ष व उच्च सदन के गठन हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया।

- प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की गयी।
- इस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक् कर दिया गया तथा उड़ीसा व सिन्ध नये प्रांत बनाये गये। बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। अदन को भारत से मुक्त करके ब्रिटेन के अधीन कर दिया।
- 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही 1935 के अधिनियम के साथ जोड़ दिया गया।
- केन्द्रीय बैंक की स्थापना :– हिल्टन–यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल, 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गई।
- 1935 अधिनियम के तहत् जब फरवरी 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए तो 6 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला। वहीं 3 प्रांतो में मिली जुली, 1 प्रांत में युनियनिस्ट पार्टी तथा एक प्रांत में कृषक पार्टी की सरकार बनी।
- यह अधिनियम संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था।
- इस अधिनियम का सभी राजनैतिक दलों ने विरोध किया।
- जवाहर लाल नेहरू ने इस अधिनियम को 'दासता का घोषणा पत्र' कहा। उन्होनें इसके सम्बन्ध में टिप्पणी की कि "हमे ऐसी कार दे दी गई है, जिसकी ब्रेक तो ठीक है, परंतु गाड़ी में इंजन नहीं है"।
- मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 की योजना को "पूर्णरूप से सड़ी हुई" बताया।
- मदन मोहन मालवीय ने कहा कि 'यह अधिनियम हम पर थोपा गया है जो बाहर से कुछ जनतंत्रीय शासन व्यवस्था से मिलता–जुलता हैं, परन्तु भीतर से खोखला हैं'।
- सी. राजगोपालचारी ने इसके बारे में कहा कि "नया द्वैध शासन पुराने द्वैध शासन से भी बुरा हैं।"
- ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एटली ने इसे 'अविश्वास का प्रतीक' कहा।

❖ एटली की घोषणा :

- ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी, 1947 को घोषणा की कि 30 जून, 1948 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जायेगा और इसके बाद सत्ता का उत्तरदायित्व भारतीय हाथों में सौंप दिया जायेगा।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

- 3 जून, 1947 को एक योजना की घोषणा की गयी, जिसके तहत् भारत को दो भागों **'भारत और पाकिस्तान'** में बाँटा गया (इसी दिन पाकिस्तान में अलग संविधान सभा का गठन किया गया) जिसे **'माउण्ट बेटन योजना/बाल्कन प्लान/डिकीबर्थ प्लान'** के नाम से जाना जाता हैं। मूलतः यह भारत विभाजन की योजना थी।
- 15 **अगस्त**, 1947 को भारत व पाकिस्तान दो नये स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में आये।
- **लॉर्ड माउण्ट बेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल** और पण्डित जवाहर लाल नेहरू भारत के **प्रथम प्रधानमंत्री** बने तथा मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली प्रधानमंत्री बने।
- माउण्ट बेटन योजना के आधार पर ही भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में **4 जुलाई, 1947 को प्रस्तुत** किया गया (उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे) जिसे **18 जुलाई, 1947 को पारित** किया गया।
- स्वतंत्र भारत के **प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी** थें।
- भारत में महामहिम की सरकार का उत्तरदायित्व तथा भारतीय रियासतों पर महामहिम का अधिराज्य 15 **अगस्ते**, 1947 को समाप्त हो गया।
- भारतीय रियासतें पाकिस्तान व भारत दोनो में से किसी भी देश में शामिल हो सकती थीं अथवा अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी।
- प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक पृथक गवर्नर जनरल होगा, जिसे महामहिम द्वारा नियुक्त किया जायेगा। गवर्नर जनरल डोमिनियन की सरकार के प्रयोजनों के लिए महामहिम का प्रतिनिधित्व करेगा।
- प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक पृथक विधानमण्डल होगा जिसे विधियाँ बनाने का पूरा प्राधिकार होगा तथा ब्रिटिश संसद उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी।
- डोमिनियन की सरकार के लिए अस्थायी उपबन्ध के द्वारा दोनों संविधान सभाओं को संसद का दर्जा तथा डोमिनियन विधानमण्डल की पूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गयी।
- इसमें गवर्नर जनरल को एक्ट के प्रभावी प्रवर्तन के लिए ऐसी व्यवस्था करने हेतु, जो उसे आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हो, अस्थायी आदेश जारी करने का प्राधिकार दिया गया।
- इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सेवाओं तथा भारतीय सशस्त्र बल, ब्रिटिश थल सेना, नौ सेना और वायु सेना पर महामहिम की सरकार का अधिकार क्षेत्र अथवा प्राधिकार जारी रहने की नीति निर्दिष्ट की गयी थी।
- भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत् पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, असम में सिलहट डिवीजन, बहावलपुर, खैरपुर, ब्लूचिस्तान के मुख्य आयुक्त के प्रांत और इसकी आठ अन्य रियासते शामिल होंगी।

- **बंगाल–** बंगाल प्रांत का अस्तित्व समाप्त हो गया। दो नए प्रांत यथा पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल अस्तित्व में आए।
- **पंजाब–** दो नए प्रांत पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब अस्तित्व में आये।
- सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा एक समिति की अध्यक्षता में नए प्रांतों की सीमाएँ निर्धारित की गई।
- इस अधिनियम में भारत के सशस्त्र बलों के साथ–साथ भारत में ब्रिटिश सेना के संबंध में किए जाने वाले उपायों पर महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गये थे।
- इस अधिनियम के अंतर्गत नौसेना बल को भी विभाजित किया गया जो एक महत्वपूर्ण व संवेदनशील क्षेत्र था।
- इस अधिनियम में भारत व पाकिस्तान की संविधान सभा के लिए भी प्रावधान किए गए थे।
- 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 और 1956 के पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 221 को रद्द करता है।
- भारत स्वतंत्रता अधिनियम ने प्रत्येक डोमिनियन में नया संविधान बनने, शासन संचालित करने एवं उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की।
- यद्यपि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था।
- इस अधिनियम ने राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियाँ करने और पदों में आरक्षण प्रणाली को समाप्त कर दिया।
- 15 अगस्त, 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को स्वतंत्रता के बाद भी वही सुविधाएँ मिलती रही, जो उन्हें पहले से प्राप्त थी।
- 15 अगस्त, 1947 से 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने तक भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक औपनिवेशिक राज्य का रहा।
- इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख एवं प्रांतीय गवर्नर जनरल को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख घोषित किया गया, जो अपने कार्यों के संचालन में मंत्रिपरिषद् की सलाह लेगा।
- लॉर्ड माउण्टबेटन भारत अधिराज्य के प्रथम गवर्नर जनरल बने तथा जवाहर लाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई।

गवर्नर जनरल एवं उनका कार्यकाल

Governor-General of Bengal (1773-1833)			
क्र.सं.	नाम व कार्यकाल	व्यक्तित्व	कार्यकाल की विशेष घटना
1.	वारेन हेस्टिंग्स (1774–1785)	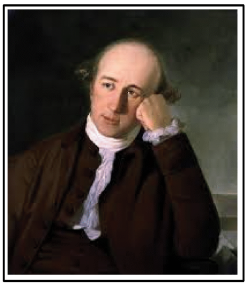	• 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, • प्रथम रोहिल्ला युद्ध (1773–1774), • फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना (1774), • बंगाल की सर्वोच्च परिषद का गठन (1774) • प्रथम आंग्ल–मराठा युद्ध (1775–1782) • अमिनी आयोग का गठन (1776) • कलकत्ता मदरसा (अलिया विश्वविद्यालय) की स्थापना (1780) • जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन (प्रथम भारतीय समाचार पत्र (1780) • द्वितीय आंग्ल–मैसूर युद्ध (1780–1784) • बंगाल की एशियाटिक सोसायटी की स्थापना (1784) • पिट्स इंडिया एक्ट (1784) • कलेक्टर पद का सृजन • पहले गवर्नर जनरल जिन पर महाभियोग का मुकदमा चला। • प्रथम रोहिल्ला युद्ध में उनकी भागीदारी के परिणामस्वरूप भूमि बंदोबस्त पर प्रयोग। • इन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पेंशन देना बंद कर दिया • बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त किया (जो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई थी), • राजकोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। • दस्तक प्रणाली को समाप्त किया गया (जो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई थी) • इनके कार्यकाल में चार्ल्स विल्किंस द्वारा भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया।
2.	जॉन मैकफर्सन (1785–1786		• इनके कार्यकाल में 'रेवेन्यू कमेटी' का पुनर्गठन कर उसे 'रेवेन्यू बोर्ड' नाम दिया।

3.	लॉर्ड कार्नवालिस (1786–1793		• निचली अदालतों और अपीलीय अदालतों की स्थापना की • तृतीय आंग्ल–मैसूर युद्ध (1790–1792) • जोनाथन डंकन (बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर) द्वारा बनारस (अब वाराणसी) में संस्कृत विद्यालय की स्थापना (1791) • बिहार और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की स्थापना (1793) • कॉर्नवालिस कोड का परिचय (1793) • भारत में सिविल सेवाओं का परिचय
4.	जॉन शोर (1793–1798)		• अहस्तक्षेप की नीति अपनाई • 1793 का चार्टर एक्ट • द्वितीय रोहिल्ला युद्ध 1794 ई • निज़ाम और मराठों के बीच खरदा का युद्ध (1795)
5.	अलूरेड क्लार्क (1798–1798) (कार्यकारी)		
6.	लॉर्ड वेलेजली (1798–1805)		• सहायक गठबंधन का परिचय (1798) • चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ई • सेंसरशिप अधिनियम, 1799 • तंजौर (1799), सूरत (1800) और कर्नाटक (1801) का प्रशासन संभाला। • कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना (1800) • बेसिन की सहायक संधि (1802) • दूसरा आंग्ल–मराठा युद्ध (1803–1805) • कलकत्ता में राजभवन की स्थापना (1803)
7.	लॉर्ड कार्नवालिस (1805–1805)		
8.	सर जॉर्ज बार्लो (1806–1807)		• वेल्लोर में सिपाही विद्रोह (1806) (1857 के भारतीय विद्रोह की प्रस्तावना) • बैंक ऑफ़ कलकत्ता (1806) की स्थापना (बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ़ इंडिया, जो वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के रूप में जाना जाता है।)
9.	लॉर्ड मिंटो प्रथम (1807–1813)		• रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि (1809)। • सिंध के तालपुर शासकों के साथ शाश्वत मित्रता की संधि (1809)। • 1813 का चार्टर एक्ट

10.	लॉर्ड हेस्टिंग्स (1813–1823)		• अहस्तक्षेप की नीति समाप्त कर दी • एंग्लो–नेपाली युद्ध (1814–1816) सुगौली की संधि (1816) पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। • तीसरा आंग्ल–मराठा युद्ध (1816–1818) और पेशवाशाही का उन्मूलन • कलकत्ता में हिंदू कॉलेज (अब प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय) (1817) • पिंडारी युद्ध (1817–1818) (भारत के पिंडारी कबीले का पूर्ण विनाश) • बॉम्बे प्रेसीडेंसी का निर्माण (1818) • गवर्नर थॉमस मुनरो, प्रथम बैरोनेट द्वारा मद्रास प्रेसीडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना (1820) • होल्ट मैकेंज़ी द्वारा उत्तरी भारत में महलवाड़ी व्यवस्था की स्थापना (1822) • बंगाल किरायेदारी अधिनियम पारित किया गया (1822) • सार्वजनिक निर्देश की सामान्य समिति का गठन किया गया (1823)
11.	लॉर्ड एडम (1823–1823		• लाइसेंसिंग विनियम
12.	लॉर्ड एमहर्स्ट (1823–1828		• 1824 का बैरकपुर विद्रोह • कलकत्ता में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना (1824) • प्रथम आंग्ल–बर्मी युद्ध (1824–1826) (ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्मी राजा बगीडॉ को हराया और असम, मणिपुर, अराकान और तेनासेरिम पर कब्जा कर लिया) • यंदाबो की संधि, 1826 (ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्मी राजा बागीडॉ को अपमानित किया और उनसे 10 लाख पाउंड वसूले)
13.	लॉर्ड बेली (1828–1828)		

14.	लॉर्ड विलियम बैंटिक (1828–1833)	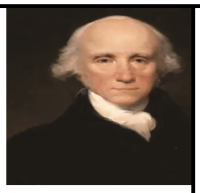	• भारत के प्रथम गवर्नर जनरल • बंगाल सती विनियमन, 1829 • ठगी का दमन (1829–1835) • कोल विद्रोह (1831) • बारासात विद्रोह (1831), जिसका नेतृत्व टिटुमीर ने किया • मैसूर (1831), कुर्ग (1834) और केंद्रीय कछार (1834) का विलय। • चार्टर अधिनियम 1833 (प्रशासनिक सुधारों के साथ–साथ भारतीयों के रोजगार में धर्म के आधार पर गैर–भेदभाव को औपचारिक रूप देना) • अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 और शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की शुरूआत • मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कोलकाता (1835) • कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित अपील और सर्किट की प्रांतीय अदालतों का उन्मूलन, राजस्व और सर्किट के आयुक्तों की नियुक्ति • मध्य भारत, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महलवारी प्रणाली • राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज
15.	लॉर्ड विलियम बेंटिक (1833–1835)	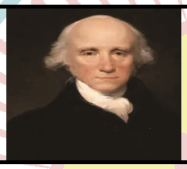	
16.	सर चार्ल्स मैटकैफ (1835–1836)		• 1823 लाइसेंसिंग विनियम निरस्त किए गए • इन्हें भारत के प्रेस मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है • कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना (1836) (वर्तमान में इसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ़ इंडिया के नाम से जाना जाता है)
17.	लॉर्ड ऑकलैण्ड (1836–1842)	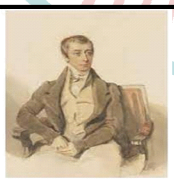	• दोस्त मुहम्मद खान के खिलाफ ब्रिटिश, शाह शुजा और महाराजा रणजीत सिंह के बीच त्रिपक्षीय संधि (1838)। • पहला बांग्ला दैनिक समाचार पत्र संवाद प्रभाकर प्रकाशित हुआ (1839) • तत्त्वबोधिनी सभा का गठन देवेन्द्रनाथ टैगोर (1839) द्वारा किया गया था। • प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध (1840–1842) (1842 में काबुल से वापसी के दौरान अफगान लड़ाकों द्वारा ब्रिटिश सेना की हत्या) • बैंक ऑफ बॉम्बे (1840) की स्थापना (बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया)
18.	लॉर्ड एलन बरो (1842–1844)		• ग्वालियर युद्ध (1843) (ब्रिटिशों ने मराठों को हराया) • बैंक ऑफ मद्रास (1843) की स्थापना (बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) • सिंध प्रांत की विजय और विलय (1843) • भारतीय दासता अधिनियम, 1843

19.	लॉर्ड विल्बरफोर्स (1844–1844)		
20.	लॉर्ड हार्डिंग (1844–1848)		• प्रथम आंग्ल–सिख युद्ध (1845–1846) (ब्रिटिश साम्राज्य ने सिख साम्राज्य को हराया और उसके क्षेत्र का बड़ा हिस्सा जब्त कर लिया) • लाहौर की संधि (1846) (अंग्रेजों ने कश्मीर को सिखों से जब्त कर लिया और इसे 75 लाख रुपये में जम्मू के राजा को बेच दिया) • भैरोवाल की संधि (1846) • रूड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना (1847)
21.	लॉर्ड डलहौजी (1848–1856)		• चूक का सिद्धांत (1848) • दूसरा आंग्ल–सिख युद्ध (1848–1849) (अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य को पूरी तरह हरा दिया और पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया) • बेथ्यून कॉलेजिएट स्कूल (1849) (जिसे कलकत्ता फीमेल स्कूल के नाम से भी जाना जाता था) की स्थापना जॉन इलियट ड्रिंकवाटर बेथ्यून द्वारा की गई थी। • धार्मिक विकलांगता अधिनियम, 1850 • पहली टेलीग्राफ लाइन डायमंड हार्बर से कलकत्ता के बीच बिछाई गई (1851) • दूसरा आंग्ल–बर्मी युद्ध (1852) (डलहौजी का एकमात्र उद्देश्य बर्मी क्षेत्रों को अपमानित करना और उन पर कब्ज़ा करना था। बर्मा पर बिना किसी उकसावे के हमला किया गया था) • चार्टर अधिनियम, 1853 • बॉम्बे और ठाणे के बीच पहली यात्री ट्रेन (1853) • चार्ल्स वुड डिस्पैच (1854) • डाकघर अधिनियम, 1854 • लोक निर्माण विभाग की स्थापना (1854) • संथाल विद्रोह (1855) (विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने 15,000 संथालों को मार डाला था। संथाल आवासों को नष्ट करने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया गया था) • कथित आंतरिक कुशासन के आधार पर अवध का विलय (1856) • शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी की स्थापना • ओडिशा और महाराष्ट्र में कन्या भ्रूण हत्या और नरबलि पर पूरी तरह से प्रतिबंध

23.	लॉर्ड कैनिंग (1858–1862)		• महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा (1 नवंबर 1858) और भारत सरकार अधिनियम, 1858 • इंपीरियल सिविल सर्विसेज का गठन (1858) • बंगाल में नील विद्रोह (1859–1860) • यूरोपीय सैनिकों द्वारा श्वेत विद्रोह (1859) • भारतीय दंड संहिता का अधिनियमन (1860) • भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 • भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861 • भारतीय सिविल सेवा अधिनियम, 1861 • पुलिस अधिनियम, 1861(12) • भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना (1861) • बजट की प्रणाली शुरू की गई • पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की जिसने कैबिनेट प्रणाली की नींव रखी
24.	8वां अर्ल ऑफ एल्गिन (1862–1863)		• कलकत्ता उच्च न्यायालय (2 जुलाई), बम्बई उच्च न्यायालय (14 अगस्त) और मद्रास उच्च न्यायालय (15 अगस्त) की स्थापना (1862) • वहाबी आंदोलन का दमन किया गया
25.	सर रॉबर्ट नेपियर (1863–1863)		
26.	सर विलियम टी डेनिसन (1863–1864)		
27.	लॉर्ड लॉरेंस (1864–1869)	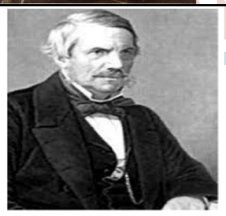	• भूटान युद्ध (1864–1865) (अंग्रेजों ने असुरक्षित भूटान को हराया और असम और बंगाल डुआर्स पर कब्ज़ा कर लिया) • भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला की स्थापना (1864) • इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना (1866) • 1866 के उड़ीसा अकाल के कारण हेनरी कैम्पबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन (1867) किया गया • पंजाब और अवध में किरायेदारी अधिनियम पारित किया गया (1868)

28.	लॉर्ड मेयो (1869–1872)		• केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की (29 अक्टूबर 1870) • वित्तीय विकेंद्रीकरण शुरू किया (1870) • वहाबी आंदोलन से निपटने के लिए आईपीसी संशोधन–देशद्रोह अधिनियम 1870 बनाया गया • शेर अली अफरीदी द्वारा हत्या (1872) • भारत में जनगणना प्रारम्भ (1872) • कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना (1872) • भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना (1872) • भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए राजकोट में राजकुमार कॉलेज तथा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई।
29.	सर जॉन स्ट्रेची (1872–1872)		
30.	मर्चिस्टन के लॉर्ड नेपियर (1872–1876)		
31.	लॉर्ड नार्थब्रुक (1872–1876)		• उन्होंने राम सिंह के नेतृत्व में पंजाब में कूका विद्रोह को दबाया (1872) • ज्योतिबा फुले ने जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता प्रथा के खिलाफ महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की शुरुआत की (1873) • बड़ौदा के गायकवाड़ का मुकदमा (1874) • सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित मुहम्मदन एंग्लो–ओरिएंटल कॉलेज (1875) • प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सप्तम ने भारत का दौरा किया (1875) • नाटकीय प्रदर्शन अधिनियम, 1876 • ब्रिटिश प्रधान मंत्री बेंजामिन डिजरायली द्वारा अफगानिस्तान के अमीर शेर अली खान के साथ संधि करने के लिए कहे जाने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया (1876)।
32.	लॉर्ड लिटन (1876–1880)		• रॉयल टाइटल एक्ट, 1876 जिसके द्वारा रानी विक्टोरिया ने 'भारत की साम्राज्ञी' की उपाधि धारण की • 1876–1878 का भीषण अकाल, रिचर्ड स्ट्रेची (1878) की अध्यक्षता में 'अकाल आयोग' का गठन किया गया था। • पहला दिल्ली दरबार (तीन में से) (1877) • वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम, 1878 • शस्त्र अधिनियम, 1878(15)

			• दूसरा आंग्ल–अफगान युद्ध, (1878–1880) • गंदमक की संधि पर हस्ताक्षर (1879) • सिविल सेवाओं में शामिल होने की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 कर दी गई
33.	लॉर्ड रिपन (1880–1884)		• पहला कारखाना अधिनियम (1881) • परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 • भारत में पहली पूर्ण जनगणना (1881) • वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम का निरसन (1882) • पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना (1882) • स्थानीय स्वशासन पर सरकारी संकल्प (1882)(16) • सर विलियम विल्सन हंटर के अधीन शिक्षा आयोग की नियुक्ति (1882)(17) • इल्बर्ट बिल (1883) • पारित अकाल कोड (1883) • सिविल सेवाओं में शामिल होने की अधिकतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई
34.	लॉर्ड डफरिन (1884–1888)	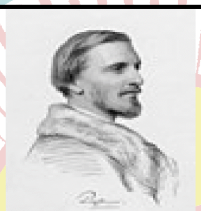	• भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन (1885) • बंगाल किरायेदारी अधिनियम (1885) • तीसरा आंग्ल–बर्मी युद्ध (1885) • बर्मा को भारत का एक प्रांत बनाया गया, जिसकी राजधानी रंगून थी (1886)
35.	लॉर्ड लैंसडाउन (1888–1894)		• 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के विवाह पर रोक लगाने के लिए सहमति की आयु अधिनियम, 1891 पारित किया गया था • दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 • भारतीय परिषद् अधिनियम 1892 • डूरंड आयोग की स्थापना (1893) (भारत–अफगानिस्तान)
36.	9वां अर्ल ऑफ एल्गिन (1894–1899)		• बम्बई में ब्यूबोनिक प्लेग का प्रसार (1896) • 1896–1897 का भारतीय अकाल • स्वामी विवेकानन्द द्वारा बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना (1897) • चापेकर बंधुओं द्वारा दो ब्रिटिश अधिकारियों (वाल्टर चार्ल्स रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट) की हत्या (1897)
37.	लॉर्ड कर्जन (1899–1905)		• 1899–1900 का भारतीय अकाल • बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा (उलगुलान) विद्रोह (1899–1900) • कृषि विभाग का गठन किया गया (1901) • उत्तर–पश्चिम सीमांत प्रांत का निर्माण (1901) • एंड्रयू फ्रेज़र के अधीन पुलिस आयोग की नियुक्ति (1902) • रैले विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति (1902) (इस आयोग की सिफ़ारिश के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 पारित किया गया)

			• दूसरा दिल्ली दरबार (तीन में से) (1903) • फ्रांसिस यंगहसबैंड के तहत तिब्बत में यंगहसबैंड अभियान (1903–1904) • बनारस हिंदू गर्ल्स स्कूल की स्थापना एनी बेसेंट (1904) ने की थी • प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 • स्वतंत्र प्रेस पर अंकुश लगाने के लिए आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1904 • बिहार के पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना (1905) • बंगाल का विभाजन (1905) लाल, बाल, पाल और अरबिंदो घोष द्वारा बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन (1905–1911)
38.	लॉर्ड मिंटो (1905–1910)		• आगा खान तृतीय और ख्वाजा सलीमुल्लाह (ढाका के नवाब) द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना (1906) • बंगाल में जुगांतर क्रांतिकारी समूह की स्थापना (1906) • 'विक्टोरिया मेमोरियल' की आधारशिला रखी गई (1906) • कांग्रेस में विभाजन (1907) (सूरत अधिवेशन में) • सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय सदस्य बने • उग्रवादी आंदोलन पर अंकुश लगाने के लिए देशद्रोही बैठकें (निषेध) अधिनियम 1907 • जमशेदजी टाटा ने टिस्को की स्थापना की (1907) • समाचार पत्र अधिनियम 1908 • मॉर्ले–मिंटो सुधार (1909) • भारतीय प्रेस अधिनियम, 1910
39.	लॉर्ड हार्डिंग (1910–1916)	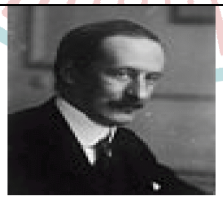	• तीसरा दिल्ली दरबार (1911) • किंग जॉर्ज पंचम द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करना (1911) • कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण (1911) • बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाने के लिए बंगाल का विभाजन (1912) • प्रथम विश्व युद्ध (1914–1918) • कोमागाटा मारू घटना (1914) • भारत और चीन के बीच मैकमोहन सीमा रेखा बनाई गई (1914) • ग़दर विद्रोह (1915) • महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आये (1915) • मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना (1915) • बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना (1916)

40.	लॉर्ड चेम्सफोर्ड (1916–1921)		• बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा भारतीय होम रूल आंदोलन का गठन (1916) • प्रथम महिला विश्वविद्यालय (एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय) पुणे में धोंडो केशव कर्वे (1916) द्वारा स्थापित किया गया था। • लखनऊ समझौता (1916) (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच) • चंपारण सत्याग्रह (1917), ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था • अगस्त घोषणा, 1917 • सैडलर विश्वविद्यालय आयोग या कलकत्ता आयोग (1917) • 1918 का खेड़ा सत्याग्रह • मोंटेग्यु–चेम्सफोर्ड सुधार (1919) • भारत सरकार अधिनियम 1919 • रौलेट एक्ट (1919) • जलियांवाला बाग हत्याकांड (1919) • खिलाफत आंदोलन (1919–1920) (बाद में 1920 में असहयोग आंदोलन में विलय हो गया) • अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना (1920) • असहयोग आंदोलन (1920–1922) • इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया (अब 1921 में स्थापित भारतीय स्टेट बैंक)
41.	लॉर्ड रीडिंग (1921–1926)		• 1910 के प्रेस अधिनियम और 1919 के रोलेट अधिनियम को रद्द करना • मालाबार विद्रोह (जिसे मोपला विद्रोह भी कहा जाता है), पहला जातीय विद्रोह (1921) • रवीन्द्रनाथ टैगोर ने विश्वभारती विश्वविद्यालय की स्थापना की (1921) • चौरी चौरा घटना (1922) और महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना • स्वराज पार्टी का गठन (1923) • सार्वजनिक सेवा सुधारों पर ली कमीशन (1923) की नियुक्ति • 1924 से रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया (यह परंपरा 2016 तक जारी रही) • काकोरी ट्रेन डकैती (1925) • के.बी. हेडगेवार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना (1925) • कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना (1925)

42.	लॉर्ड इरविन (1926–1929)		• साइमन कमीशन (1928) • नेहरू रिपोर्ट (1928) • लाला लाजपत राय की मृत्यु (1928) • जिन्ना के चौदह सूत्र (1929) • पूर्ण स्वराज घोषणा (1929) • मेरठ षडयंत्र केस (1929) • भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधान सभा में बमबारी (8 अप्रैल 1929) • "दीपावली घोषणा" (31 अक्टूबर 1929, भारत को उचित समय पर प्रभुत्व का दर्जा देने के लिए) • ब्रिटिश भारत में शिक्षा के विकास का सर्वेक्षण करने के लिए "हार्टोग समिति" (1929) की नियुक्ति (21) • नमक मार्च (1930) के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरूआत • धरासना सत्याग्रह (1930) • प्रथम गोलमेज़ सम्मेलन (1930) • सर मुहम्मद इकबाल द्वारा इलाहाबाद संबोधन (1930) • चटगांव शस्त्रागार पर छापा (1930) • गांधी–इरविन समझौता (1931) • भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर की फाँसी (1931)
43.	जॉर्ज गोशेन (1929–1931)		
44.	लॉर्ड विलिंगटन (1931–1936)		• दूसरा गोलमेज़ सम्मेलन (1931) • रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा (1932) • महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच पूना समझौता (1932) • तीसरा गोलमेज़ सम्मेलन (1932) • पाकिस्तान घोषणा (1933) • कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना (1934) • भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 पारित करके की गई • भारत सरकार अधिनियम 1935 • अखिल भारतीय किसान सभा का गठन (1936)

45.	जॉन लिनलिथगो (1936–1943)		• भारतीय प्रांतीय चुनाव (1937) • द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का प्रवेश (1939) • मुक्ति का दिन (1939) • ऑल इंडिया फ़ॉरवर्ड ब्लॉक का गठन (1939) • लाहौर संकल्प (1940) • अगस्त ऑफर (1940) • क्रिप्स मिशन (1942) • भारतीय सेना का गठन (1942) • भारत छोड़ो आंदोलन (1942) • भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन (1942) • बंगाल का अकाल (1943)
46.	लॉर्ड वैवेल (1943–1947)		• सी. आर. फॉर्मूला (1944) • शिमला सम्मेलन (1945) • द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त (1945) • भारतीय राष्ट्रीय सेना (आईएनए) परीक्षण (1945–1946) • कैबिनेट मिशन (1946) • सीधी कार्यवाही दिवस (डायरेक्ट एक्शन डे) (16 अगस्त 1946) • अंतरिम सरकार का गठन (1946) • रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह (1946)
47.	लॉर्ड माउण्टबेटन (1947–1948)		• भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 (18 जुलाई 1947) • बंगाल प्रेसीडेंसी और पंजाब प्रांत की सीमा रेखा का सीमांकन करने के लिए सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में रैडक्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था • स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर–जनरल
48.	चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य (1948–1950)		• भारत के अंतिम गवर्नर–जनरल, कार्यालय स्थायी रूप से समाप्त होने से पहले (1950) • भारत के पहले और एकमात्र भारतीय मूल के गवर्नर–जनरल

* * *